[2022] 11 एस सी आर 236

मोहम्मद लैटिफ मैग्री

वी.

जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र।

(2022 की सिविल अपील संख्या 6544)

12 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 14 , 21 , 25 , 26 और 136-कोड

दंड प्रक्रिया, 1973-- s.176 (3)-मृतकों का निष्कासन

शव-आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई-चार अपीलार्थी के बेटे सहित आतंकवादियों को गोली मार दी गई

एफ. आई. आर. थी

पंजीकृत-जाँच के दौरान चार गोलियां अज्ञात में चली गईं

मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए शव-लाशें

चार में से दो व्यक्तियों को बाद में बाहर निकाला गया और उन्हें सौंप दिया गया

उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनके रिश्तेदार-के शव

अन्य दो व्यक्तियों (अपीलार्थी का पुत्र और एक अन्य) को दफनाया गया था।

औकाफ़ समिति के माध्यम से और अलग नहीं किए गए और उन्हें सौंप दिया गया उनके परिवारों को-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-एकल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को शव/अवशेषों के विच्छेदन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

मृतक-प्रतिवादी ने एल. पी. ए. दायर किया और आदेश को चुनौती दी

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अनुमति दी

और उसके परिवार के सदस्य के धार्मिक अनुष्ठान/प्रार्थना करने के लिए

उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रस्तुत किया कि वह अपीलार्थी एक मौलिक अधिकार यू/आर्ट है। 21 अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए

संस्कारों के अनुसार बेटा-आयोजितः शव को दफनाया गया।

गरिमा के साथ-एक शरीर को दफनाए जाने के बाद, इसे माना जाता है कानून की अभिरक्षा, इसलिए, विघटन का मामला नहीं है

अधिकार कानून कब्र की पवित्रता के रूप में विच्छेदन के पक्ष में नहीं है इसे बनाए रखा जाना चाहिए-न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप की अनुमति देगा जब वह

न्याय के हित में-गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार

कला. 21 न केवल जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि मृत व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है-दफनाने के बाद लगभग 9 महीने बीत चुके हैं जो उस शरीर का सुझाव देते हैं

हो सकता है कि वह वितरण योग्य स्थिति में न हो।

236 मोहम्मद लैटिफ मैग्री बनाम। संघ क्षेत्र

जम्मू और कश्मीर और ओआरएस।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-का दायरा और शक्ति

उच्चतम न्यायालय-केवल तभी जब असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हों; कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और मामला और प्रश्न पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, केवल न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा-इसका प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में किया जाएगा।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1 . यहां तक कि एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.05.2022 के आदेश द्वारा उल्लेख किया था कि मृतक का शव अंदर होना चाहिए।

सड़न का उन्नत चरण। लगभग 9 महीने बीत चुके हैं।

दफनाने के बाद जो संकेत देता है कि शरीर प्रसव योग्य स्थिति में नहीं हो सकता है। इस स्तर पर शरीर को अलग करना बहुत अधिक होगा। मृतकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और कब्र के साथ कुछ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए। [पैरा 53] [270-ए-बी] 2. यह कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार केवल इतना ही नहीं है

एक जीवित व्यक्ति के लिए उपलब्ध है लेकिन "मृत" के लिए भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि एक मृत व्यक्ति को भी अपने शरीर के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है, जिसका वह हकदार होता, अगर वह जीवित होता, तो अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अधीन होता, जिसे वह मानता था। ये अधिकार न केवल मृतक के लिए हैं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। [पैरा 54] [270-बी-सी]

3. शव को दफनाए जाने के बाद, इसे कानून की हिरासत में माना जाता है; इसलिए, अलगाव अधिकार का मामला नहीं है। एक अंतर्निर्मित शरीर की गड़बड़ी या निष्कासन अदालत के नियंत्रण और निर्देश के अधीन है। कानून इस सार्वजनिक नीति के आधार पर अलगाव का समर्थन नहीं करता है कि कब्र की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। एक बार दफनाए जाने के बाद, शरीर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक अदालत आम तौर पर किसी निकाय को विच्छेदित करने का आदेश या अनुमति नहीं देगी जब तक कि आवश्यकता का एक मजबूत प्रदर्शन न हो

हस्तक्षेप करना न्याय के हित में है। प्रत्येक मामले का निर्णय व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। [पैरा 56] [270-एच; 271-ए-बी]

4. प्रत्यर्थियों ने शपथ पर कहा है कि मृतक के शव को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। शरीर को पहली बार धोया गया था [2022] 11 एस।

डी इसके बाद एक ताजा सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। प्रार्थनाएँ

इस प्रकार दफन के समय किया जाता है। कुछ नहीं है।

यह बताता है कि मृतक को अच्छी तरह से दफनाया नहीं गया थासंविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिबंधित। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार एक जीवित व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के लिए भी है।] [271 - सी-डी]

पेटीग्रू वी। पेटीग्रू 56 ए. 878 (पी. 1904); केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य बनाम मोहम्मद लतीफ माग्रे और एक और 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे एंड के 516; मोहम्मद लतीफ माग्रे बनाम। भारत संघ और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 433; पं. परमानंद कटारा, अधिवक्ता बनाम। भारत संघ (1995) 3 एस. सी. सी. 248 एस. सेतु राजा बनाम मुख्य सचिव, मुख्य सचिव,

तमिलनाडु सरकार और अन्य। , 2007 के डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) No.3888 ने 28.08.2007, रामलीला मैदान पर निर्णय लिया।

इंसिडेंट इन रे, (2012) 5 एस. सी. सी. 1: [2012] 4 एससीआर 971; जाकिर एसके। वी. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , (2017)

एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 3354; विनीत रुइया बनाम। प्रधानाचार्य

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, ए. आई. आर. 2020 कैल 308; राम शरण औत्यनुप्रसी बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 549 [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 870; आश्रय अधिकारी

अभियान वी. भारत संघ (2002) 2 एससीसी 27: 2002 (1) जे. टी. 41; प्रदीप गांधी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 662। ; मोहम्मद. हामिद और एक अन्य वी। बड़ी मस्जिद ट्रस्ट और अन्य (2011) 13 एस. सी. सी. 61: [2011] 9 एस. सी. आर. 328; गुलाम अब्बास और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1984) 1 एस. सी. सी. 81: [1984] 1 एस. सी. आर. 64; आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य बनाम। तमिलनाडु सरकार और दूसरा (2016) 2 एस. सी. सी. 725: [2015] 11 एस. सी. आर. 1110; आनंदी साइमन बनाम। की स्थिति

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव ने किया

सरकार और अन्य (2021) 3 मैड एलजे 479; विकास चंद्र @गुड्डू बाबा बनाम। भारत संघ और ओआरएस। 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 905: (2008) 2 पीएलजेआर 127; रामजी

सिंह @मुजीब भाई बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। (2009) 5 सभी एल. जे. 376; कुन्हयमद बनाम। केरल राज्य (2000)

6 एससीसी 359 [2000] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 538; खोडे मोहम्मद लेटीफ मैग्री बनाम। जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र।

डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री महादेश्वर सहकार सक्कारे कारखाने लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 376: [2019] 3

एससीआर 411; प्रीतम सिंह बनाम। राज्य ए. आई. आर 1950 एस. सी. 169:

[1950] एस. सी. आर. 453, हेम राज, देविलाल महाजन के पुत्र

बिजैनगर का दोषी कैदी, वर्तमान में

केंद्रीय जेल में बंद; अजमेर बनाम। अजमेर राज्य

AIR 1954 SC 462 [1954] SCR 1133; P. S. R. साधनानथम बनाम। अरुणाचलम एंड अदर (1980) 3

एससीसी 141: [1980] 2 एस. सी. आर. 873-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 4 एससीआर 971

पैरा 20

(3)

संदर्भित किया गया है

[1988] 3 पूरक। एससीआर 870

पैरा 20

(6)

संदर्भित किया गया है

[2011] 9 एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1984] 1 एससीआर 64

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2015] 11 एससीआर 1110

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[1950] एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1954] एससीआर 1133

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1980] 2 एससीआर 873

पैरा 49

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

के 01.07.2022 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

एल. पी. ए. सं. 2022 में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का न्यायालय।

आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री दीपिका सिंह राजवंत, पारस

सिंह, रोहिन भट्ट, सुश्री नूपुर कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, ए.

मदन, सुश्री अनन्या साहू, अमन सिंह भदोरिया, सुश्री ता अर्धेन्दुमौली प्रसाद, सुश्री नीला केदार गोखले, शैलेश मां सुश्री प्रवीण गौतम, अनुज श्रीनिवास उडुप्पा, नकुल चेंगप्पा के चित्रांश शर्मा, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. " मृतकों को वहीं आराम करना होता है जहां उन्हें रखा गया है जब तक कि उनके आराम में खलल डालने के लिए सार का कारण सामने नहीं लाया जाता है।

न्यायमूर्ति कार्डोजो योमे बनाम। गोरमन, 152 एन. ई. 126,129 (एन. वाई.

1926) .

3. संयुक्त राज्य अमेरिका में विघटन का प्रमुख मामला है

पेटीग्रू वी। पेटीग्रू, 56 ए. 878 (पी. 1904) जिसका फैसला 1904 में पेन्सिलवेनिया के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया थाः

" यह धारणा परिवर्तन के खिलाफ है। स्ट्रैटफोर्ड के मकबरे पर लिखा था, "वह हो जो मेरी हड्डियों को हिलाता है, चाहे वह शेक्सपियर का हो या किसी श्रद्धावान दोस्त का।

मानवता की सार्वभौमिक भावना को व्यक्त करता है, न केवल अपवित्रता के खिलाफ, बल्कि अशांति के खिलाफ भी। जब कोई मामला अदालत में आएगा, तो कुलाधिपति इस भावना को ध्यान में रखेंगे और विचार करेंगे।

उस संबंध में सभी परिस्थितियाँ। "

4. यह अपील मूल रिट आवेदक (मृतक के पिता, जिनके बेटे, मोहम्मद) के कहने पर की गई है। अमीर माग्रे की हत्या कर दी गई थी

पुलिस और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है और अन्य बनाम। मोहम्मद लतीफ माग्रे और एक अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 516 (2022 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 99 दिनांक 01.07.2022) जिसके द्वारा अपील न्यायालय ने मोहम्मद लतीफ में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को संशोधित किया।

मैग्रे वी. भारत संघ और अन्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 433 (2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 11 ने 27.05.2022 पर निर्णय लिया) और इस प्रकार अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों (अधिकतम 10 व्यक्तियों तक) को अनुमति देने से इनकार करते हुए कब्रिस्तान में मृतक की फ़ातिहा खवानी (धार्मिक अनुष्ठान/प्रार्थना) करने की अनुमति दी। धार्मिक अनुष्ठानों के उद्देश्य से मृतक के शरीर को अलग करना।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि 15.11.2021 पर कश्मीर के बडगाम के हैदरपोरा इलाके में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। चार आतंकवादियों को गोली मार दी गई थी, जिसमें मोहम्मद लेटिफ मैग्री वी शामिल था।

जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इसमें अपीलार्थी का पुत्र। उक्त घटना के संबंध में, सदर पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. की धारा 307/120-बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 2 और यू. एल. ए. (पी) अधिनियम की धारा 16,18,20 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 193/2021 दर्ज की गई थी। जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने मुठभेड़ स्थल पर चार गोलियों से लदे अज्ञात शव बरामद किए। कानूनी औपचारिकताओं के लिए शवों को श्रीनगर के पुलिस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पोस्टमार्टम आदि करने के बाद, शवों की पहचान एक विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। बिलाल भाई @हैदर @सकलैन

आर/ओ पाकिस्तान, आमिर लतीफ माग्रे एस/ओ मोहम्मद लतीफ माग्रे आर/ओ सीरीपोरा तहसील गुल रामबन, अल्ताफ अहमद भट एस/ओ अब्दुल रहमान

हालाँकि, यह अपीलार्थी का मामला है कि जहाँ तक उनके बेटे आमिर के शव का संबंध है, उन्होंने शव को सौंपने के अनुरोध के साथ विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और अंततः उनके बेटे (मृतक) के शव को वाडर पाईन में दफनाया गया। कब्रिस्तान। यह उसका मामला है कि उसे गुल के पुलिस स्टेशन द्वारा 16.11.2021 पर सूचित किया गया था कि उसका बेटा आमिर कश्मीर में एक मुठभेड़ में मारा गया है और उसे शव की पहचान करने के लिए कश्मीर जाना चाहिए। आई. डी. 1 को, अपीलार्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सदर के पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहाँ उसे बताया गया कि उसका बेटा अमीर माग्रे एक आतंकवादी था और हैदरपोरा में तीन अन्य सहयोगियों के साथ मारा गया था और अमीर के शव को दफनाया गया था।

8. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में 2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 11 को प्राथमिकता दी और

निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ऊपर की गई दलीलों और सुनवाई के समय जिन लोगों से आग्रह किया जाना है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, इस माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि वह प्रत्यर्थियों को स्वर्गीय मोहम्मद आमिर मागरे का शव सौंपने का निर्देश दे, जिनकी संयुक्त रूप से हत्या कर दी गई थी।

हैदरपोरा क्षेत्र में 15.11.2021 पर उनके द्वारा मुठभेड़

कश्मीर में बडगाम याचिकाकर्ता को जो ऊपर वर्णित तथ्यों और आधारों पर उसका जैविक पिता होता है।

9. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट केशन का फैसला सुनाया और याचिकाकर्ता के विरोध में मृत अमीर माग्रे के शरीर/अवशेषों को वाडर पायिन कब्रिस्तान से अलग करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की अनुमति दी।

10. विद्वत एकल न्यायाधीश रिट आवेदन को अनुमति देते हुए

एतऽ अपीलार्थी द्वारा, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

" 15. मृतक के निकट संबंधियों का धार्मिक दायित्वों और धार्मिक विश्वास के अनुसार अपने प्रिय का अंतिम संस्कार या दफन कराने का अधिकार, जो कि मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल के दौरान स्वीकार किया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। मृतक के माता-पिता और करीबी रिश्तेदारों को अपनी परंपराओं, धार्मिक दायित्वों और धार्मिक विश्वास के अनुसार अपने प्रियजन के शव का अंतिम संस्कार या दफनाने की मांग करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार में मृत शरीर का अंतिम संस्कार या उसके पैतृक स्थान पर दफनाने के लिए रिश्तेदारों की पसंद भी शामिल होगी। यह असामान्य नहीं है कि मृतकों की कब्रों का रखरखाव उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है और कुछ अवसरों पर उनके रिश्तेदार और करीबी दोस्त सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं।

16. इस मुद्दे पर ज्यादा विस्तार किए बिना, यह अच्छी तरह से तय कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा किसी नागरिक को दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं - नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और मानव गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार मृत्यु के बाद भी सीमित सीमा तक है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का अपने बेटे के शव का दावा करने का अधिकार अपने तरीके से और स्थानीय परंपराओं, धार्मिक दायित्वों के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए

और धार्मिक विश्वास, जिसे मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान स्वीकार किया था, को विवादित नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान विवाद के संदर्भ में जिस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या हम्माद लेटिफ मैग्री बनाम।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के नाम पर राज्य इस अधिकार से इनकार कर सकता है।

17. प्रत्यर्थियों द्वारा यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि मृतक के शव को याचिकाकर्ता को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं सौंपने का निर्णय व्यापक जनहित में और कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने अतीत में ऐसी स्थितियों को देखा है और इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों के शवों को उनके रिश्तेदारों को दाह संस्कार या दफनाने के लिए नहीं सौंपने का फैसला किया है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मुठभेड़ में मारे गए चार में से दो के शव, अर्थात्,

अल्ताफ अहमद भट और डॉ. मुदासिर गुल को बाहर निकाला गया और उनकी पसंद के कब्रिस्तानों में उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया और याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए समान अधिकार को क्यों अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने यह प्रस्तुत करके अंतर करने की कोशिश की है कि जांच के अनुसार

एस. आई. टी. द्वारा संचालित, याचिकाकर्ता का मृत पुत्र था

एक पुष्ट आतंकवादी जबकि मारे गए अन्य दो, अल्ताफ अहमद भट और डॉ. मुदासिर गुल केवल आतंकवादियों के सहयोगी थे। मुझे उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अंतर में कोई तर्क या अर्थ नहीं मिलता है। यह स्पष्ट है कि जनता के दबाव और दोनों मृतकों के रिश्तेदारों की मांग के कारण

अल्ताफ अहमद भट और डॉ. मुदासिर गुल,

उत्तरदाताओं ने हार मान ली और अपने शवों को बाहर निकालने और अपने रिश्तेदारों को सौंपने की अनुमति दी। चूंकि याचिकाकर्ता जम्मू प्रांत के एक दूरदराज के गाँव गुल का निवासी था और घाटी में बहुत कुछ नहीं कहता था, इसलिए उसके अनुरोध को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। की कार्रवाई

उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है

ऐसा कानून जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत हो। कम से कम किसी को भी इस अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था। याचिकाकर्ता को अपने बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव ले जाने की अनुमति नहीं देने का प्रतिवादियों का निर्णय मनमाना था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।

18. 15.11.2021 के बाद से दबे हुए शरीर की स्थिति के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा बहुत कुछ कहा गया है।

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अमीर लतीफ माग्रे का शव दफनाया गया था

वाडर पायिन कब्रिस्तान में 15.11.2021 पर हो सकता है

अब तक नष्ट कर दिया गया है लेकिन केवल यही कारण नहीं हो सकता है कि मृत शरीर के अवशेषों को याचिकाकर्ता को नहीं सौंपा जाए जो

अपनी आवाज़ के शीर्ष पर अपने बेटे के शव के अवशेषों को भी प्राप्त करने के लिए गुहार लगा रहा है ताकि वह उसे अपने शव में दफना सके

रिश्तेदारों की उपस्थिति में और उसके बाद देशी कब्रिस्तान

सभी धार्मिक दायित्वों का पालन करना। इस समय कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका भी भ्रामक प्रतीत होती है। जब उत्तरदाता कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रख सके जब दो के शव, अर्थात्, अल्ताफ

अहमद भट और डॉ. मुदासिर गुल को बाहर निकाला गया और 18.11.2021 पर अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, उत्तरदाताओं के लिए याचिकाकर्ता के बेटे अमीर लतीफ माग्रे के शव को निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और उसे उचित अनुरक्षण में गांव थथारका सेरीपोरा तहसील गुल जिला रामबन ले जाना मुश्किल नहीं है।

उत्तरदाता यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था कर सकते हैं कि कि कानून और व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह से खराब न हो।

याचिकाकर्ता, जैसा कि उसके वकील द्वारा उत्साहपूर्वक तर्क दिया गया है, यह वचन देने के लिए भी तैयार है कि वह उन सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा जो प्रत्यर्थियों द्वारा निकाले जाने, परिवहन और शव को दफनाने के संबंध में लगाए जा सकते हैं।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा हिच में अंतिम निर्देश जारी किए जो इस प्रकार हैं:

" 19. पूर्वगामी कारणों से, मैं मृतक अमीर लतीफ माग्रे के पिता की इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूं और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की उपस्थिति में वाडर पाईन कब्रिस्तान से मृतक अमीर लतीफ माग्रे के शव/अवशेषों को निकालने की व्यवस्था करने का निर्देश देता हूं। उत्तरदाता उचित व्यवस्था भी करेंगे।

शव को गाँव पहुँचाने के लिए

अपने पैतृक कब्रिस्तान में दफनाने के लिए याचिकाकर्ता

परंपराओं, धार्मिक दायित्वों और

धार्मिक विश्वास जिसे मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान स्वीकार किया, बशर्ते कि यह प्राप्त करने योग्य स्थिति में हो। उत्तरदाता हम्माद लेटिफ मैग्री V के संबंध में कोई भी उचित नियम और शर्तें लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

याचिकाकर्ता के बेटे अमीर लतीफ माग्रे के शव को निकालने, ले जाने और दफनाने का। चूँकि मृतक का शव सड़ने की अग्रिम अवस्था में होना चाहिए,

इस प्रकार, यह वांछनीय होगा कि उत्तरदाता शीघ्रता से कार्य करें और आगे कोई समय बर्बाद न करें। हालाँकि, यदि शरीर अत्यधिक सड़ गया है और सुपुर्दगी की स्थिति में नहीं है या

सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जोखिम पैदा करने की संभावना है,

याचिकाकर्ता और उसके करीबी रिश्तेदारों को प्रदर्शन करने की अनुमति होगी।

उनकी परंपरा और धार्मिक विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार

वाडर पायिन कब्रिस्तान स्वयं। उस स्थिति में, राज्य याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देगा। 5 लाख के लिए

अपने बेटे का शव रखने के उसके अधिकार से वंचित करना

और उसे पारिवारिक परंपराओं, धार्मिक दायित्वों और उस विश्वास के अनुसार सभ्य रूप से दफनाया जाए जिसे मृतक ने स्वीकार किया था जब उसने

जीवित था। "

12. इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनिवार्य रूप से खुद को संबोधित किया

निम्नलिखित मुद्देः

ए। राज्य लोक व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना के आधार पर अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए अपने बेटे के शव का दावा करने के अपीलार्थी के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता था। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, पिता द्वारा प्रतिपादित ऐसा अधिकार इसके तहत निहित है

संविधान का अनुच्छेद 21।

बी। मुठभेड़ में मारे गए चारों लोगों में से शवों को निकालने और उन्हें सौंपने की अनुमति क्यों दी गई?

उनके अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार?

सी। अपीलार्थी को अपने बेटे के शव को अपने पैतृक गांव ले जाने की अनुमति नहीं देने में उत्तरदाताओं की ओर से की गई कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 21 के जवाब का उल्लंघन थी।

संविधान।

13. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य लोगों को उच्च न्यायालय के विद्वान ई न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से संतुष्ट और व्यथित होने के कारण 2022 की अपील संख्या 99 पत्र दायर करके इसे चुनौती दी गई। अपील अदालत ने अपील का निपटारा कर दिया

एन. जी. निम्नानुसारः

" 15. विद्वान महाधिवक्ता ने उठाए गए तर्कों और आग्रह किए गए आधारों के अनुरूप अपनी प्रस्तुति देते हुए [2022] 11 एस. सी. आर.

यह तर्क देते हुए कि विवादित निर्णय कानूनी रूप से सही नहीं है और रिट याचिकाकर्ता याचिका में मांगी गई किसी भी राहत का हकदार नहीं था, जिसमें अब मांगी गई राहत भी शामिल है। विद्वान महाधिवक्ताक अनुसार, रिट न्यायालय विवाद पर विचार करैत काल स्वयंकेँ गलत दिशामे निर्देशित कयलक आ एहि मामलाकेँ अपन सही आ सही परिप्रेक्ष्यमे नहि मानल, एकर कारण विवादित निर्णयकेँ खारिज कय याचिका खारिज कय देल गेल। विद्वान महाधिवक्ता, हालांकि, निष्पक्ष रूप से तर्क देंगे कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

मामला, प्रत्यर्थी सं। 1 और उसके परिवार के सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है अपीलार्थियों द्वारा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के अधीन मृतक की कब्र पर फ़ातिहा ख़वानी (दफनाने के बाद प्रार्थना) करना, क्योंकि उनके अनुसार, मृतक का अंतिम संस्कार इस्लामी धर्म के अनुसार किया गया था।

मृत शरीर को धोना/साफ करना, कपड़े के दो सफेद टुकड़ों से शरीर को व्यवस्थित रूप से लपेटना/लपेटना, पूरे शरीर को ढंकना और उसके बाद जनाजा की प्रार्थना करना और इसके परिणामस्वरूप मृतक को कब्र में दफनाना, पवित्र पुस्तक कुरान की आयतों का पाठ करना।

16. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील नं। 1 ,

तथापि, विद्वत महाधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त पेशकश के रूप में विद्वत महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों और आग्रह किए गए आधारों का विरोध करेगा, और रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 यहाँ।

17. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी सं. द्वारा अंतिम अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए मृतक के शरीर को निकालने की राहत को छोड़ने के लिए। 1 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

जैसा कि रिट कोर्ट के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा लिए गए अनियंत्रित/निर्विरोध रुख को देखते हुए, मृतक का अंतिम संस्कार वाडर पायिन कब्रिस्तान में मृतक को दफन करते समय पहले ही किया जा चुका है, के लिए वकील का तर्क

स्वीकार्य है। 18. प्रतिवादी नं. के लिए वकील की प्रार्थना। 1 तर्कों के दौरान किया गया कि प्रतिवादी नहीं। 1 और उसके परिवार के सदस्यों को मृतक की कब्र खोलकर मृतक का चेहरा देखने की अनुमति दी जाए, जिसे स्वीकार और अनुमति नहीं दी जा सकती है।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पहला, रिट याचिकाकर्ता की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि शव को दफनाने के तुरंत बाद सड़ना शुरू हो जाएगा, और दूसरा, रिट याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए

मृतक के शव को निकालना।

19. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा किया गया उपरोक्त प्रस्ताव

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित प्रतीत होता है।

20. जहाँ तक वैकल्पिक राहत की बात है, उत्तरदाता सं। 1 उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुआवजे के भुगतान के रूप में

रिट कोर्ट द्वारा दी गई मंजूरी का संबंध है, यह सराहना की जानी चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया कि प्रदान नहीं किया

उत्तरदाता को अवसर सं। 1 और उसके परिवार में शामिल होने के लिए

मृतक का अंतिम धार्मिक संस्कार और अंतिम संस्कार। अपीलार्थियों ने प्रथम दृष्टया अनुचित तरीके से कार्य किया है क्योंकि अपीलार्थियों के इस आरोप के बावजूद कि मृतक का व्यक्ति एक था

आतंकवादी भले ही यह माना जा सके कि मृतक

अपने द्वारा घोषित विश्वास के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अंतिम संस्कार के प्रदर्शन के बाद दफनाए जाने के अपने अधिकार को त्याग दिया, फिर भी दफनाने का उक्त अधिकार और

मृतक के लिए उपलब्ध अंतिम धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन उत्तरदाता नं। 1 और उनके परिवार के सदस्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। मान लीजिए, प्रत्यर्थी नं। 1 और उनके परिवार को स्पष्ट रूप से भावनात्मक और भावनात्मक उदासी का सामना करना पड़ा है। उत्तरदाता नं. 1 और उसके परिवार को अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, बिना किसी नीति/दिशानिर्देश के, जैसा कि कानून में समर्थन नहीं किया जा सकता है, कि हमारा एक कल्याणकारी राज्य है जिसे पूरे विश्व द्वारा स्वीकार किया गया है। यहाँ अपीलार्थी भी इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते थे कि

उत्तरदाता सं. के परिवार की पृष्ठभूमि। 1 और आतंकवाद से लड़ने में उनके परिवार की भूमिका। रिट कोर्ट ने उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी नं. 1 इस तरह के अभाव के लिए और उक्त मुआवजे का पुरस्कार उचित प्रतीत होता है।

14. अपील न्यायालय ने पैरा 21 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए, जैसे [2022] 11 एस. सी. आर.

" 21. ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, विचार किया गया है और विश्लेषण किया गया है, और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल अपील का निपटारा निम्नानुसार किया जाता हैः

प्रत्यर्थी को अनुमति देने के लिए अपीलकर्ता नं. 1 और उसका परिवार

((i)

सदस्य (अधिकतम 10 व्यक्ति) के परामर्श से तय की जाने वाली तारीख और समय पर वडुर पायिन कब्रिस्तान में मृतक की फ़ातिहा खवानी (धार्मिक अनुष्ठान/प्रार्थना) करेंगे। उत्तरदाता नं। 1 , सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

((ii) अपीलकर्ताओं को रुपये का मुआवजा देना होगा। 5.00 रिट कोर्ट द्वारा प्रत्यर्थी नं. 1 है।

बनाए रखा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थियों द्वारा उक्त मुआवजे का भुगतान सं। 1 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त क्षतिपूर्ति रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नं. 1 विशिष्टता को देखते हुए

तत्काल मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

इसमें उत्तरदाताओं को मृतक के शव को बाहर निकालना चाहिए और इस तरह परिवार के सदस्यों को धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने मूल कब्रिस्तान में स्थानांतरित करने और दफनाने की अनुमति देनी चाहिए। 16. अपीलार्थी (मृतक के पिता) उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होने के कारण वर्तमान के साथ हमारे सामने है।

संविधान के अनुच्छेद 136 का आह्वान करते हुए अपील।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

17. श्री आनंद ग्रोवर, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी की ओर से, शुरू में, प्रस्तुत किया गया कि वह अपनी प्रार्थना को इस हद तक सीमित रखना चाहता है कि उत्तरदाताओं को शरीर को अलग करने का निर्देश दिया जाए ताकि अपीलार्थी को एक पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में प्रार्थना/अनुष्ठान करने में सक्षम बनाया जा सके। श्री ग्रोवर ने कहा कि शव को अब लगभग आठ महीने से अधिक समय से दफनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, मृतक के परिवार के सदस्य शव के अवशेषों को बाधित नहीं करना चाहेंगे और एक बार प्रार्थना करने के बाद, मोहम्मद लैटिफ मैग्री v.

जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

18. श्री ग्रोवर ने आगे कहा कि अपील न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बाधित नहीं करना चाहिए था। उत्तरदाताओं को शरीर को बाहर निकालने के लिए। वह प्रस्तुत करेगा कि एक पिता के रूप में अपीलकर्ता अभी भी मानता है कि उसका बेटा आतंकवादी या आतंकवादी नहीं था और एक नकली मुठभेड़ में मारा गया था। श्री ग्रोवर ने कहा कि एक पल के लिए यह स्वीकार किए बिना कि मृतक एक आतंकवादी था, पुलिस को शव को परिवार के सदस्यों को सौंप देना चाहिए था और शव को वाडर पाईन में सावधानीपूर्वक दफनाया नहीं जा सकता था

कब्रिस्तान। 19. श्री ग्रोवर का पूरा तर्क यह है कि अपीलार्थी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कार्य करने का मौलिक अधिकार है।

इस्लाम में प्रचलित अनुष्ठानों के अनुसार उनके मृत बेटे का अंतिम संस्कार। एक पिता के रूप में अपीलार्थी को ऐसे मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। वह प्रस्तुत करेगा कि चूंकि अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी गई थी या अपने मृत बेटे का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए शव को निकालने के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। 20. अपनी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री ग्रोवर निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करना चाहते हैं:

(1) पं. परमानंद कटारा, अधिवक्ता बनाम। भारत संघ,

(1995) 3 एससीसी 248,

(2)

एस. सेतु राजा बनाम मुख्य सचिव, मुख्य सचिव

सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य। , 2007 के डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) No.3888 ने 28.08.2007 पर निर्णय लिया,

रामलीला मैदान घटना, इन रे, (2012) 5 एस. सी. सी. 1,

(3)

(4)

जाकिर एस. के. वी. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , 2017 एससीसी

ऑनलाइन कैल 3354,

(5)

विनीत रुइया बनाम। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण, पश्चिम बंगाल सरकार, आकाशवाणी

2020 कैल 308,

(6)

राम शरण औत्यनुप्रसी बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1989

549, [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(7) आश्रय अधिकार अभियान बनाम। भारत संघ (2002) 2 एस. सी. सी.

27 ,

(8)

प्रदीप गांधी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2020 एससीसी

ऑनलाइन बॉम 662।

21. उपरोक्त परिस्थितियों में श्री ग्रोवर प्रार्थना करते हैं

कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण इसकी अनुमति दी जा सकती है और उचित राहत दी जा सकती है।

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

22. दूसरी ओर, इस अपील का जोरदार विरोध किया गया है।

श्री अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद द्वारा, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि के बारे में नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि विवादित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं, विशेष रूप से, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आदेश है और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय के अंत में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

23. विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि मृतक के पिता के रूप में अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास एक मौलिक अधिकार है

संविधान का अनुच्छेद 21 आवश्यक अनुष्ठान करने के उद्देश्य से शरीर को निकालने की मांग करता है।

24. विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का विरोध करने के उद्देश्य से दायर किए गए हलफनामे में किए गए कथनों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। हम प्रासंगिक कथनों को नीचे उद्धृत करते हैं:

" 4. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 10760 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष पिछले दौर में,

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह राहत के लिए दबाव नहीं डालता है उनके मृत बेटे के अवशेषों को निकालने और सौंपने के संबंध में। दिनांकित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण

27.06.2022 इस माननीय न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. (सी) सं.

10760/2022 इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शुरू में कहा कि वह अपने मृत बेटे के शव को निकालने और सौंपने के संबंध में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई पहली राहत के लिए दबाव नहीं डालते हैं। हैमड लेटिफ़ मैग्री v.

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

5. उपरोक्त के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उक्त निवेदन पर विचार करते हुए वर्तमान विवादित आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2022 के विवादित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 7. निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट कोर्ट द्वारा दी गई पहली राहत को छोड़ दिया है।

निष्कासन और सौंपने के संबंध में

शरीर-उसके मृत बेटे का अवशेष। इस प्रकार, पक्षकारों के लिए उपस्थित वकील को बाकी राहतों पर सुना गया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में पहचाना गया "।

6. इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान विवादित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों (अधिकतम 10 व्यक्तियों) को फतेह ख्वानी (दफनाने के बाद धार्मिक अनुष्ठान/प्रार्थना) करने की अनुमति दी।

वाडेर पायिन कब्रिस्तान में मृतक, जिस तारीख और समय पर प्रतिवादी सं. 1 , विषय

सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखना जिन्हें कोविड-19 तक लागू करने की आवश्यकता हो सकती है दिशानिर्देश।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी उचित शर्तों के अधीन फ़ातिहा खवानी (दफन के बाद धार्मिक अनुष्ठान/प्रार्थना) करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपर्युक्त राहत के लिए सहमत है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के रखरखाव के हित में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया।

8. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष मृतक के शव को निकालने और वहां प्रार्थना करने के संबंध में मांगी गई और अधिक राहत का उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा राज्य सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर विरोध किया जाता है, इसके अलावा इस तथ्य के अलावा कि यह समान अनुरोधों का एक बड़ा द्वार खोलेगा और गंभीर सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए खतरे को बढ़ाएगा। इस संबंध में उत्तरदाता द्वारा जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ और मंडल पीठ के समक्ष पहले ही विस्तृत कथन प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक एक आतंकवादी समूह से जुड़ा एक कट्टर आतंकवादी था और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी के साथ सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके साथ वह संबंध बना रहा था।

विभिन्न आतंकी साजिशें।

10. कि भीषण बंदूक की लड़ाई/मुठभेड़ के अनुसार जिसके कारण मृतक आतंकवादी की मौत हो गई, अधिकारियों ने मृतक का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया है और

धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार और दफन किया जाता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं देखा है कि मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान धार्मिक रीति-रिवाजों का कोई उल्लंघन हुआ है।

इसे बाहर निकालने से पर्याप्त होगा क्योंकि इससे प्रतिकूल सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस तथ्यात्मक स्थिति को याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में भी विस्तार से स्वीकार किया है। जम्मू और कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय, श्रीनगर के समक्ष।

12. कि, यह आगे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि

बुरहान वानी नामक आतंकवादी की मुठभेड़, घाटी में मृत आतंकवादियों के महिमामंडन की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें युवाओं में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं पैदा की गईं और उन्हें विभिन्न आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए भारतीय गणराज्य के खिलाफ उकसाया गया। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के अवशेषों को निकालने में ऐसी भावनाओं को भड़काया जा सकता है और ऐसी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जाएगा जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के महिमामंडन के लिए और खतरा पैदा हो सकता है।

13. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि घाटी आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच नियमित रूप से गोलीबारी/मुठभेड़ होती है। शव को निकालने के किसी भी निर्देश से अन्य मारे गए आतंकवादियों के परिवार से इसी तरह के अनुरोध होंगे, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किए गए कथन।

हैमड लेटिफ़ मैग्री v. संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

14. इसलिए, उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में,

मृतक के प्राण प्रदान नहीं किए जा सकते हैं और याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार को अनुमति देने का निर्देश

(अधिकतम 10 लोग) फ़ातिहा खवानी (धार्मिक) करेंगे।

विशेष अनुमति याचिका खारिज की जा सकती है। [जोर दिया गया] 25. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील

उत्तरदाताओं के लिए प्रार्थना की कि इसमें कोई योग्यता नहीं है

अल, वही खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण 26. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनकर

एविंग रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से चला गया, निम्नलिखित प्रश्न

इस न्यायालय के विचार के लिए आते हैं:

क्या अपीलार्थी (मृतक के पिता) प्रार्थना कर सकते हैं

ए।

कब्रिस्तान से अपने बेटे के शव को निकालने के लिए यह कहते हुए कि यह उसका मौलिक अधिकार है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है कि वह उसका अंतिम संस्कार करे।

कटा हुआ बेटा?

क्या यह चीजों की फिटनेस में होगा, विशेष रूप से, होना

बी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शव को अब आठ महीने से अधिक समय से दफनाया जा रहा है, ताकि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को इस्लाम में पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को करने में सक्षम बनाया जा सके?

एक पल के लिए यह मानते हुए कि यह मौलिक अधिकार है

सी।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पिता को कब्रिस्तान में दफनाए जाने से पहले अपने बेटे के अंतिम संस्कार और अनुष्ठानों को गरिमा के साथ करने के लिए, क्या इस न्यायालय को अपने संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि के जोखिम और खतरे पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को बाधित करता है और लगभग नौ महीने के बाद निष्कासन की राहत देता है।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी।

क्या उच्च न्यायालय ने अपील में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है

आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि?

शरीर का विसर्जन

27. खुदाई में एक कब्र को खोलना शामिल है (या कभी-कभी एक

तहखाने) और मानव अवशेषों को हटाना जो पहले से ही वहाँ दबे हुए हैं। 'विघटन' के रूप में भी जाना जाता है, निष्कासन विवादास्पद है-भले ही इरादा आमतौर पर विस्थापित अवशेषों को कहीं और दफनाने का हो। अधिकांश समाज और संस्कृतियाँ

जो शारीरिक निपटान के साधन के रूप में दफनाने को शामिल करते हैं, वे मुख्य रूप से दो कारणों से मृतकों के सांसारिक आराम को बाधित करने के लिए एक गहरी अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। पहला, सड़ती हुई लाशों से बीमारी के संभावित संचरण के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं। दूसरा, और अधिक मौलिक रूप से, विसर्जन मृतकों को 'शांति से आराम करने' की अनुमति देने के बुनियादी नैतिक आधार को आहत करता है और इसे आम तौर पर वर्जित या अपवित्र माना जाता है।

अभिनय करें।

28. आम तौर पर, निष्कर्षण के लिए अनुरोध दो व्यापक रूप में आता है।

श्रेणियाँः " जनहित और व्यक्तिगत कारण "।

29. निष्कासन के लिए वैध अधिकार धारा 176 (3), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित है। इस गतिविधि की अनुमति अपराध का पता लगाने और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण स्थितियों के उद्देश्य से दी गई है। जब भी हत्या, आपराधिक गर्भपात, मौत का विवादित कारण, जहर आदि जैसी गलत हरकतों का संदेह हो तो पोस्टमार्टम के उद्देश्य से शव को निकाला जा सकता है।

30. तत्काल मामले में, हैदरपोरा मुठभेड़ में मृतक के मारे जाने के बाद, अधिकारियों ने अंतिम संस्कार किया

31. शपथ पर राज्य का रुख यह है कि मृतक के शव को कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ज़कलदारा की उपस्थिति में वाडर पायिन कब्रिस्तान में सभी धार्मिक दायित्वों के अनुसार औकाफ़ समिति द्वारा स्थानांतरित और दफनाया गया था। के अंतिम संस्कार मृतक को इस्लामी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार मृत शरीर को धोना/साफ करना, कपड़े के दो सफेद टुकड़ों से शरीर को व्यवस्थित रूप से लपेटना/लपेटना, पूरे शरीर को ढंकना और उसके बाद जनाजा की प्रार्थना की जाती थी और इसके परिणामस्वरूप मृतक को दफनाया जाता था।

कब्र, पवित्र पुस्तक कुरान के छंदों का पाठ करना। हालांकि,

अपीलार्थी दावा करता है कि एक पिता के रूप में अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना उसका विशेषाधिकार था।

हैमड लेटिफ़ मैग्री v. संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का दायरा

32. मोहम्मद में। हामिद और एक अन्य वी। बडी मस्जिद ट्रस्ट और आर. एस. (2011) 13 एस. सी. सी. 61, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 10. ..... वक्फ या न्यासों से संबंधित हनफी कानून का पृष्ठ 406

उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था और

उत्तरदाताओं की ओर से पेश वकील द्वारा हमारे सामने रखा गया।

फतवा-ए-आलमगिरी पी। 556 , जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित तरीके से "एक कब्रिस्तान" शीर्षक दें:

" जब किसी शव को जमीन में दफनाया जाता है, चाहे वह लंबे समय के लिए हो या थोड़े समय के लिए, तो उसे बिना किसी बहाने के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन इसे कानूनी रूप से तब निकाला जा सकता है जब यह प्रतीत हो कि भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, या कोई अन्य इसके तहत इसका हकदार है। पूर्व-समावेशन का अधिकार।

XXX XXX XXX

12. इस संबंध में, हम गुलाम अब्बास बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य [(1984) 1 एस. सी. सी. 81: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 35] उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के दायरे और दायरे और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर भी विचार किया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। उक्त में निर्णय, विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या दो कब्रों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके।

दोनों धर्मों के बीच संघर्ष की बारहमासी समस्या

समुदाय। उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने धार्मिक प्रमुखों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फतवे पर विचार किया, अर्थात्:

दिल्ली, बनारस और पटना के प्रमुख मुफ्ती और शाही इमाम कब्रों को स्थानांतरित करने के लिए कानून की स्थिति बताते हुए

शरीयत कानून।

13. उन सभी फतवों को देखने के बाद, गुलम में यह अदालत

अब्बास [(1984) 1 एस. सी. सी 81: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 35] ने पाया किः

(एस. सी. सी पी. 86, पैरा 6)

" 6. ..... इन सभी फतवों में आम विषय यह है कि शरीयत कानून के तहत कब्रों का सम्मान धार्मिक है।

प्रत्येक मुसलमान का दायित्व है कि शवों को स्थानांतरित किया जाए [2022] 11 एस. सी. आर.

पुरानी कब्रों को खोदने के बाद जिसमें वे दबे हुए हैं

अनुमति नहीं है और ऐसा करना हस्तक्षेप के बराबर होगा अपने धार्मिक अधिकारों के साथ।

आगे यह पाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे धार्मिक अधिकार और हर धर्म, हालांकि, "सार्वजनिक व्यवस्था" के अधीन है।

जिसका रखरखाव व्यापक हित में सर्वोपरि है।

समाज से। यह भी माना गया कि यदि यह आवश्यक हो जाता है

कुछ स्थितियों और जनता की आवश्यकताओं में कब्रों को स्थानांतरित करें

आदेश, वही निश्चित रूप से एक आवश्यक स्थिति प्रदान करेगा, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में

स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन बनाए जाते हैं।

[जोर दिया गया]

33. गुलाम अब्बास और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य,

4) 1 एस. सी. सी. 81, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 5. ..... संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जिन पर मजबूत

प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं के लिए वकील द्वारा निर्भरता रखी गई थी

उस ओर से सुन्नी समुदाय का प्रतिनिधित्व करना, निस्संदेह

(क) सभी व्यक्तियों को विवेक और स्वतंत्रता की गारंटी

धर्म का पेशा, व्यवहार और प्रचार और (ख)

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को स्वतंत्रता

धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए लेकिन ये दोनों

मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से "के अधीन" बनाया गया है

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य "। दूसरे शब्दों में, व्यायाम

इन मौलिक अधिकारों में से कोई भी निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना चाहिए या

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए रास्ता दें और विवादित सुझाव न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अब पाया गया है

समिति के अध्यक्ष द्वारा व्यापक रूप से व्यवहार्य होना

जनता को बनाए रखने के उद्देश्य से समाज का हित

उनके धार्मिक कार्य के प्रत्येक अवसर पर आदेश

दोनों संप्रदायों के सदस्यों द्वारा समारोह और कार्य।

6. सुन्नियों के वकील ने जारी किए गए पाँच फतवे पर भरोसा किया

उनके धार्मिक प्रमुख (प्रमुख मुफ्ती और शाही इमाम)

दिल्ली, बनारस और पटना शेरियत के तहत स्थिति बताते हुए

हर मुसलमान का, कि खुदाई के बाद शवों को स्थानांतरित करना जिन पुरानी कब्रों में वे दबी हुई हैं, उनकी अनुमति नहीं है।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

और ऐसा करना उनके धर्म में हस्तक्षेप के बराबर होगा।

अधिकार। सच है, शेरियत कानून के तहत यह स्थिति नहीं हो सकती है

संदेह था लेकिन जैसा कि पहले समझाया गया है कि हर किसी के धार्मिक अधिकार

व्यक्ति और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय जनता के अधीन हैं।

आदेश ", रखरखाव जिसका बड़े में सर्वोपरि है समाज का हित। उदाहरण के लिए, चर्च संबंधी आदेश या

एक दफन लाश को परेशान न करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है जैसा कि इच्छा है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (3) से स्पष्ट रहें

जो अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से इसके निष्कासन की अनुमति देता है और यह प्रावधान सभी पर लागू होता है चाहे

मृतकों को नियंत्रित करने वाला व्यक्तिगत कानून। वास्तव में, एक हदीस का हवाला देते हुए,

लड़ रहे उत्तरदाताओं द्वारा विश्वास किए गए फतवे में से एक

राज्यों की कब्रों का अनावश्यक स्थानांतरण भी नहीं है

अनुमेय "।

[जोर दिया गया]

34. आदि शैव शिवचरियारगल नाला संगम और अन्य में

तमिलनाडु सरकार और एक अन्य, (2016) 2 एस. सी. सी. 725, ने यह अभिनिर्धारित किया किः

" 43 ..... इसलिए अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटीकृत अधिकार,

सीमित हैं और संवैधानिक रूप से इसका आनंद लिया जाना चाहिए

अनुमेय मापदंड। अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब यह हो सकता है

यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि कोई विश्वास है या अभ्यास दावा किया गया और दावा किया गया धार्मिक का एक मौलिक हिस्सा है

ऐसा दावा करने वाले समूह या संप्रदाय की प्रथा

आवश्यक निर्णय लेने से पहले। एक निर्णय

ऐसे दावों पर संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।

यह न तो एक आसान काम है और न ही एक ईर्ष्यापूर्ण काम है कि अदालतें प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। इस तरह के कार्यों को करने का आदेश नहीं है।

किसी भी चर्च संबंधी अधिकार क्षेत्र के आधार पर अदालत में

इसे प्रदान किया गया लेकिन संवैधानिक रूप से इसकी भूमिका को देखते हुए मध्यस्थ। कोई आशंका है कि अदालत द्वारा निर्णय

एक आवश्यक धार्मिक प्रथा स्वयं स्वतंत्रताओं को नकारात्मक बनाती है

अनुच्छेद 25 और 26 को हटाना होगा

पहरेदार

संवैधानिक आवश्यकता की कसौटी। इस तरह के बिना

कोई प्रभावी निर्णय नहीं हो सकता है या नहीं

और स्वास्थ्य और निर्विवाद के अनुसार और समाज कल्याण और सुधारों की निर्विवाद धारणाएँ।

संतुलन हमेशा यह मानते हुए बनाया जा सकता है कि

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को निर्धारित करने की न्यायिक शक्ति,

अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटी, उसका प्रयोग हमेशा प्रतिबंधित और संयमित रहना चाहिए।

[जोर दिया गया]

35. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि धार्मिक अधिकार

हालाँकि, बहुत से लोग और हर धर्म जनता के अधीन है।" , जिसका रखरखाव व्यापक हित में सर्वोपरि है।

ऑसिटी। इन दोनों मौलिक अधिकारों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। इन अभ्यासों

मानसिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना चाहिए या रास्ता देना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का संरक्षण।

अनुच्छेद के तहत स्थापित एक सभ्य दफन का अधिकार

संविधान

36. पं. परमानंद कटारा (ऊपर), इस न्यायालय ने कहा किः

" 3. ..... संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार

भारत का संविधान केवल एक जीवित व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है

लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी।

37. आश्रय अधिकार (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 1. ..... उस पत्र के आधार पर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न

बेघर मृतक का अधिकार, एक सभ्य दफन करने के लिए, जैसा कि

उनके धार्मिक विश्वास और संबंधित दायित्व के अनुसार

ऐसे लोगों के प्रति राज्य का पत्र आया था

एक रिट याचिका के रूप में माना गया और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। पत्र में

इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने और आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया

सभी संबंधित लोगों को निर्देश, ताकि एक व्यक्ति मर जाए सड़क, कम से कम एक सभ्य दफन या दाह संस्कार के लिए दावा कर सकते हैं

समाज से संबंधित व्यक्ति के रूप में। इसके आधार पर

पत्र, नोटिस जारी किए गए हैं। के उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय) ने एक जवाबी-हलफनामा दायर किया है, जो संकेत देता है

ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका। नगरपालिका की ओर से

दिल्ली निगम, डॉ. सतपाल, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि जब

व्यक्ति सड़कों पर मर जाता है और शव बचा रहता है

बिना दावा किए, इसे दिल्ली पुलिस और हम्माद लैटिफ मैग्री बनाम द्वारा एम. सी. डी. को सौंप दिया जाता है।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इसके बाद एम. सी. डी. के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक श्मशान घाट, बेला रोड पर शव का मुफ्त में अंतिम संस्कार किया जाता है। यदि शव किसी मुसलमान का है, तो उसे वक्फ बोर्ड द्वारा दिल्ली गेट के पास एक कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और दिल्ली नगर निगम खर्च वहन करता है। आश्रय अधिकार अभियान की ओर से एक जवाबी-हलफनामा दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, न्यायालय से चाहता था

याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता अदालत से क्या दिशानिर्देश चाहता है और उसी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए थे। उन दिशानिर्देशों से गुजरने पर,

हम पाते हैं कि एक सभ्य दफन का दावा करने के अलावा, प्रस्तावित दिशानिर्देश एक विशाल क्षेत्र को शामिल करते हैं, जो हमें आशंका है कि मूल प्रार्थना के दायरे में नहीं आएगा।

38. राम शरण औतनुप्रसी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने राय दी

13. ..... यह सच है कि आज के जीवन में वह सब कुछ शामिल है जो किसी व्यक्ति के जीवन को उसकी परंपरा, संस्कृति और विरासत सहित अर्थ देता है और उस विरासत की पूरी तरह से सुरक्षा निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित अवधारणा के दायरे में आएगी। फिर भी, कब

यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए राहत चाहता है, तो उसे अपने आप को किसी प्रत्यक्ष, स्पष्ट और मूर्त कार्य तक सीमित रखना चाहिए जो उसके जीवन या समुदाय में दूसरों के जीवन की पूर्णता के लिए खतरा है।

39. विनीत रुइया (ऊपर) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 20. मोटे तौर पर, चाहे वह आस्तिक या नास्तिक के लिए हो, विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे और धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता है

संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड (1) के तहत संरक्षित। उस खंड में "धर्म" शब्द को किसी विशेष धर्म से जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है जैसा कि एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में समझा जाता है। यह आस्था और अपनी खुद की बात है।

विवेक जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए बड़े अर्थों में धर्म के पेशे और अभ्यास को प्रेरित कर सकता है।

व्यक्तिगत। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि ऐसे उदाहरणों में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की धार्मिक प्रथाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह उस व्यक्ति के साथ संपर्क का मामला है जिसकी मृत्यु हो गई है और निकट संबंधी किसी भी स्तर के संबंध में हो सकते हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल रूप से, माता-पिता और बच्चे, पति और पत्नी, दादा-दादी और पोते-पोतियों आदि के बीच मानवीय संबंध किसी भी धार्मिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और विवेक का विषय है। यदि ऐसा व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड (1) के संदर्भ में विवेक की स्वतंत्रता की नींव पर किसी भी अभ्यास और स्वतंत्र पेशे का सहारा लेना चाहता है, तो यह केवल पारस्परिक वाचा द्वारा संक्षिप्त किया जा सकता है कि ऐसी गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 के खंड (1) के संदर्भ में भी ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने का यह अंतर्निहित तरीका है। अंतिम संस्कार करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता, चाहे वह दाह संस्कार या दफनाने से संबंधित हो, कभी-कभी उन कारकों द्वारा निर्देशित हो सकती है जो धार्मिक संप्रदायों में भी स्वीकृत प्रथा के समान हो सकते हैं। अगर हम हिंदुओं के बीच विभिन्न प्रथाओं को समग्र रूप से या अलग रूप में देखें

हिंदुओं के संप्रदाय, एक बात स्पष्ट है;

पानी, फूल या यहाँ तक कि कुछ अनाज के माध्यम से अनुष्ठानिक प्रसाद प्रदान करने की सुविधा को अक्सर अंतिम संस्कार से पहले मृतकों को इस तरह का प्रसाद देने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के लिए मौलिक रूप से देखा जाता है। अंतिम संस्कार के बाद के संस्कारों में, राख और हड्डियों के रूप में नश्वर अवशेषों को प्राप्त करना, जिन्हें दिवंगत के निकट रिश्तेदारों के लिए पवित्र माना जाता है और विश्वास और विश्वास के अनुसार उन सामग्रियों को आगे संभालना भी ऐसे समुदायों में स्वीकार किया जाता है (इस संबंध में लाभदायक पठन गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों और ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है)। जहाँ तक

ईसाई चिंतित हैं, अगर कोई विभिन्न संप्रदायों को देखता है, तो यह देखा जा सकता है कि ऐसी प्रथाएं हैं, जो मामूली भिन्नताओं के साथ, आम तौर पर प्रार्थनाओं के लिए प्रदान की जाती हैं।

इससे पहले कि शवों को दफनाया जाए और अलग-अलग तिथियों पर निपटान के बाद भी प्रार्थना की जाए और

समय विभिन्न चर्चों में विश्वास, विश्वास और अभ्यास पर निर्भर करता है। कैनन के एक अवलोकन से पता चलता है कि अलग

इस तरह के मामलों के लिए अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं को चित्रित किया गया है। हमने इसका उल्लेख केवल यह इंगित करने के लिए किया है कि विभिन्न प्रथाएं हैं।

उपलब्ध है। जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है, हनफियों के बीच मान्यताओं और प्रथाओं में जो भी अंतर हो, हमद लतीफ मैग्री v.

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जिन्हें भारत में सुन्नी का एक बहुसंख्यक समूह माना जाता है

एक तरफ शिया और दूसरी तरफ साफ धागा

संपर्क का विश्वास और विश्वास है कि मानव का निपटान

कबार (दफन) अनुष्ठानों के साथ-साथ अवशेष भी अनिवार्य हैं।

(अल-बहर-उर-रैक के कुछ अंश इसे पुष्ट करेंगे।

पहलू)। परिवार की भी अपनी प्रथाएं रखने की इच्छा है।

इसे इस हद तक आगे बढ़ाया गया कि यह उनकी आस्था और विश्वास से संबंधित है।

हम इन सभी का उल्लेख केवल यह प्रदर्शित करने के लिए करते हैं कि

भारतीय समुदाय में हमेशा जटिल प्रथाओं की इच्छा रही है निकट रिश्तेदारों की भागीदारी के साथ अनुष्ठानों के रूप में

एक मृतक का, जिसके तहत अनुमति दी जा सकती है

परिस्थितियों को देखते हुए।

XXX XXX XXX

23. ..... कोविड-19 पीड़ित के परिवार का प्रदर्शन करने का अधिकार

मृतक के अंतिम संस्कार से पहले अंतिम संस्कार

व्यक्ति मौलिक अधिकार के समान अधिकार है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अर्थ। जबकि

नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

एक स्थानिक रोग के प्रकोप के बाद उनकी जीवन शैली

कोविड-19, राज्य द्वारा एक अच्छा संतुलन बनाया जाना चाहिए और

स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान ताकि उपरोक्त अधिकार

एक नागरिक का अपने निकट और प्रिय के संस्कार करने के लिए बहुत के अलावा संक्षिप्त या निरस्त नहीं किया जाता है

मजबूर करने वाले कारण "

[जोर दिया गया]

40. आनंदी साइमन बनाम। द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया तमिलनाडु राज्य

f सरकार और अन्य के सचिव, (2021) 3 मैड एलजे 479,

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा किः

" 16. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी है

कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई।

बहुत सारे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 में शामिल हैं

निजता के अधिकार के रूप में, एकान्त कारावास के खिलाफ अधिकार, अधिकार कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई का अधिकार आदि। माननीय सर्वोच्च

कई मामलों में न्यायालय ने यह भी देखा और व्याख्या की है कि

एक सभ्य दफनाने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। भारत का संविधान। मानव गरिमा का अधिकार [2022] 11 एस. सी. आर. नहीं है।

यह जीवित मनुष्य तक ही सीमित है लेकिन मृत्यु के बाद भी उपलब्ध है।

XXX

XXX

XXX

34. जहाँ तक सक्षम करने के उद्देश्य से निष्कासन

मृतक के परिवार के सदस्यों को अपने धार्मिक समारोह करने और शव को अपनी पसंद के उपयुक्त स्थान पर दफनाने का संबंध है, एक विधायी शून्य है।

भले ही धारा 176 Cr.P.C और धारा 174 (1) Cr.P.C के तहत, मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास निष्कासन का आदेश देने की शक्तियां हैं, वे मामले उस मामले से नहीं निपटते हैं, जहां दफनाया गया व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य किसी भी आपराधिक अपराध में शामिल नहीं हैं।

कार्यपालिका जो लोक हित के लिए हानिकारक है, न्यायपालिका को लोक हित की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए। 36. हाथ में मामला भी उपरोक्त श्रेणी के तहत आता है जहां एक विधायी शून्य है। वहाँ कोई नहीं है

भारत में ऐसे मामलों से निपटने वाला कानून जहां परिवार के सदस्य इस उद्देश्य के लिए शव को निकालने की मांग करते हैं -

उसी को दफन करना और उस स्थान पर समारोह करना जो उनकी धार्मिक आस्था के लिए था।

[जोर दिया गया]

41. प्रदीप गांधी (उपरोक्त) मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया " 38. ..... हमारे देश में प्रचलित शासन प्रणाली में,

यह बहुत कम संभावना है कि एक सरकारी निर्णय प्रत्येक नागरिक को खुश करेगा। जबकि वैध आधारों पर असहमति नीतियों को तैयार करने के मामले में नए विकास में योगदान कर सकती है, WP-I में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई प्रकृति की नाराजगी मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ती है। हमने याचिकाकर्ताओं को दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील पाया है। संविधान के संस्थापकों ने महसूस किया कि भारत के लोग अपने सभी नागरिकों के लिए भाईचारे को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे।

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना। यही प्रारंभिक वादा है। हम मृत व्यक्ति को अंतिम अधिकार से वंचित करने का बहुत कम कारण पाते हैं, यानी उसे उसके धर्म के अनुसार एक सभ्य दफनाने का अधिकार।

संस्कार।

42. एस. सेतु राजा (ऊपर) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 18. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है न्यायिक घोषणाओं द्वारा एक विस्तारित अर्थ दिया गया है। जीवन के अधिकार को मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए रखा गया है। हमारी परंपरा और संस्कृति के अनुसार, वही मानवीय गरिमा (यदि अधिक नहीं), जिसके साथ एक जीवित व्यक्ति के साथ व्यवहार की उम्मीद की जाती है, एक व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए।

जो मर चुका है। किसी व्यक्ति के शव को सभ्य तरीके से दफनाने या दाह संस्कार करने के अधिकार को ऐसी मानवीय गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना जाना चाहिए।

43. विकास चंद्र @गुड्डू बाबा बनाम। भारत संघ और 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 905: (2008) 2 पीएलजेआर 127, पटना हाई

टी ने माना किः

" 5. ..... यह उम्मीद की जाती है कि पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारी या राज्य के अधिकारी यह देखेंगे कि इसका निपटारा किया जाए।

लावारिस और अज्ञात शवों में किया जाता है मृतक के प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ कानून के अनुसार और यदि यह सत्यापन योग्य है तो अंतिम संस्कार निम्नलिखित के अनुसार हो सकते हैं -

मृतक का ज्ञात विश्वास "।

44. रामजी सिंह @मुजीब भाई बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। , 9) 5 ऑल एलजे 376, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 17. इस प्रकार हम पाते हैं कि अनुच्छेद 21 में 'व्यक्ति' शब्द और अभिव्यक्ति में एक मृत व्यक्ति को सीमित अर्थों में शामिल किया जाएगा और उसके जीवन के लिए उसके अधिकार जिसमें मानव गरिमा के साथ जीने का उसका अधिकार शामिल है, उसके मृत शरीर के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए एक विस्तारित अर्थ होगा, जिसका वह हकदार होता।

अपनी परंपरा संस्कृति और धर्म के अधीन जीवित रहे, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। राज्य को व्यक्ति के शरीर के साथ गरिमा के साथ व्यवहार करने की अनुमति देकर एक मृत व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और जब तक कि यह अपराध स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए आवश्यक न हो।

मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए और पोस्टमॉर्टम या किसी भी वैज्ञानिक जांच, चिकित्सा शिक्षा या [2022] 11 एस. सी. आर.

कानून के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति का जीवन बचाएँ,

मृत शरीर का संरक्षण और उसके अनुसार निपटान

मानवीय गरिमा के साथ।

" "

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय का दायरा और शक्तियाँ

संविधान का

45. संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री के खिलाफ अपने विवेक से विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है। सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण को छोड़कर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में निर्धारण, सजा या आदेश। यह नीचे लिखा है:

" 136. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति। — (1) इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय, अपने विवेकाधिकार पर, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।

(2) खंड (1) की कोई बात किसी निर्णय, निर्धारण पर लागू नहीं होगी,

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किया गया दंड या आदेश

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित।

46. अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र दो चरणों में विभाजित है: पहला चरण अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना के निपटारे तक है और दूसरा चरण तब शुरू होता है जब अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में परिवर्तित कर दिया जाता है। कुन्हयमद बनाम में इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में दी गई कानूनी स्थिति। केरल राज्य, (2000) 6 एस. सी. सी. 359; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड में पुष्टि की गई। श्री महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 376, दो चरणों के दायरे के बारे में निम्नानुसार है:

" (क) अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका की सुनवाई करते समय, न्यायालय से यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या याचिकाकर्ता को ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसा सुनते हुए

याचिका, न्यायालय अपने अपीलीय का प्रयोग नहीं कर रहा है

अधिकारिता; यह केवल अपील करने की अनुमति देने या न देने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता अभी भी प्रवेश द्वार के बाहर है, हालांकि वह

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश करने का इच्छुक है। वह प्रवेश करता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि

विशेष अवकाश के लिए उसकी याचिका का भाग्य।

हैमड लेटिफ़ मैग्री बनाम। संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

यदि अपील के लिए अनुमति की मांग करने वाली याचिका है

(ख)

खारिज कर दिया गया, यह न्यायालय द्वारा राय की अभिव्यक्ति है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए एक मामला

अदालत नहीं बनाई गई थी।

((ग)

यदि अपील करने की अनुमति दी जाती है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार

न्यायालय का आह्वान किया जाता है; अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए द्वार खोला जाता है। याचिकाकर्ता अंदर है और

प्रत्यर्थी को उसका सामना करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, हालांकि एक उपयुक्त मामले में, अपील करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, न्यायालय प्रत्यर्थी को नोटिस किए बिना अपील को खारिज कर सकता है।

अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका के बावजूद

((घ)

जिस निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई है, वह पक्षकारों के बीच अंतिम, प्रभावी और बाध्यकारी बना हुआ है। एक बार अपील करने की अनुमति दिए जाने के बाद, निर्णय, डिक्री या आदेश की अंतिमता को खतरे में डाल दिया जाता है, हालांकि यह पक्षों के बीच बाध्यकारी और प्रभावी बना रहता है जब तक कि यह अमान्य न हो या जब तक कि अदालत चुनौती के तहत निर्णय, डिक्री या आदेश के संचालन या निष्पादन पर रोक लगाने या निलंबित करने का एक विशिष्ट आदेश पारित न कर सके। [आईडी, 372, पैरा 14।] "

47. प्रीतम सिंह बनाम। राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 169, इस न्यायालय के संविधान एच ने इस न्यायालय के दायरे और शक्तियों की व्याख्या की है।

संविधान का अनुच्छेद 136 विस्तार सेः

" 9. के साथ अनुच्छेद 136 की सावधानीपूर्वक जांच पर

पूर्ववर्ती लेख, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यापक विवेकाधीन जिस शक्ति के साथ इस न्यायालय को इसके तहत निवेश किया जाता है, वह है

कम और केवल असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाता है, और जहां तक संभव हो एक समान मानक अपनाया जाना चाहिए।

विभिन्न मामलों में विशेष अवकाश देने में जो

इस लेख के तहत इसके सामने आ सकते हैं। इस लेख के आधार पर, हम दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में, आयकर मामलों में, विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाले मामलों में और विभिन्न प्रकार के अन्य मामलों में विशेष अनुमति दे सकते हैं। एकमात्र वर्दी

मानक जो हमारी राय में निर्धारित किया जा सकता है

परिस्थितियां यह हैं कि न्यायालय को [2022] 11 एस. सी. आर. को विशेष अनुमति देनी चाहिए।

केवल उन मामलों में अपील करें जहाँ विशेष परिस्थितियाँ हैं

दिखाई देता है। प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित करने की कोशिश की है समय-समय पर आपराधिक मामलों में विशेष अवकाश देने के लिए कुछ सिद्धांत

जिन मामलों की समीक्षा कपिलदेव में संघीय न्यायालय द्वारा की गई थी

वी. राजा। यह कहना हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त है कि हालांकि हम हैं

बहुत सख्ती से उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं क्योंकि कारण, संवैधानिक

और प्रशासनिक, जो कभी-कभी प्रिवी के साथ तौला जाता है

परिषद, हमारे साथ वजन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन सिद्धांतों में से कुछ साज-सज्जा कई मामलों में आह्वान के लिए एक ठोस आधार के रूप में उपयोगी हैं।

यह दर्शाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं, कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और यह कि

विचाराधीन मामला पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है

जिसके खिलाफ अपील की गई है, उस निर्णय की समीक्षा का आदेश देता है। तब से हमारी राय में वर्तमान मामला इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है,

हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और याचिका खारिज की जानी चाहिए।

[जोर दिया गया]

48. हेम राज के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ,

बिजैनगर के देविलाल महाजन, दोषी कैदी, परकेन्द्रीय कारागार में बंद, अजमेर बनाम। अजमेर राज्य, आकाशवाणी

एस. सी. 462, निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

" 2. जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष

ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनमें पर्याप्त और गंभीर अन्याय हुआ है

किया गया और विचाराधीन मामला की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है

अपील किए गए निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता

इसके विरुद्ध, यह न्यायालय अपनी प्रबलित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है।

अपीलार्थी को पूरे मामले को खोलने का अधिकार नहीं देता है और तथ्य के सभी निष्कर्षों का विरोध करें और हर उस बिंदु को उठाएं जो

प्रारंभिक चरण जब अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। विचार के लिए सवाल यह है कि क्या यह परीक्षण संतुष्ट है।

इन दोनों अपीलों में से किसी एक में। विद्वानों को सुनने के बाद दोनों अपीलों में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उनमें से कोई भी हामिद लेटिफ मैग्री v.

संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और ओआरएस। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रश्न को उठाएँ ऊपर "।

[जोर दिया गया]

49. पी. एस. आर. के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ।

अनंतम वी। अरुणाचलम और एक अन्य, (1980) 3 एस. सी. सी. 141 ने संविधान के अनुच्छेद 136 को निम्नानुसार लागू किया हैः

" 7. ..... स्पष्ट शब्दों में, अनुच्छेद 136 कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

किसी पक्षकार पर इस प्रकार की अपील की जा सकती है, लेकिन यह उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। विवेकाधीन आयाम काफी है लेकिन यह संबंधित है।

अदालत की शक्ति के लिए। सवाल यह है कि क्या यह निहितार्थ से, अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई एक निष्पक्ष प्रक्रिया का वर्णन करता है।

हमारी राय में, ऐसा होता है। अनुच्छेद 136 एक विशेष अधिकार क्षेत्र है। यह अवशिष्ट शक्ति है; यह अपने आयाम, अपनी सीमा में असाधारण है,

जब यह अन्याय का पीछा करता है, तो आकाश ही है। यह न्यायालय कार्यात्मक रूप से जहाँ भी हो अन्याय तक पहुँचकर खुद को पूरा करता है और यह शक्ति काफी हद तक अनुच्छेद 136 से सामान्य मामलों में प्राप्त होती है। क्या यह केवल अदालत में एक शक्ति है जिसका उपयोग किसी भी तरह से किया जाना चाहिए? क्या व्यायाम के तरीके और व्यायाम के अवसर में कोई प्रक्रियात्मक सीमा नहीं है? क्या अनुच्छेद 136 के तहत किसी मामले की सुनवाई करते समय या तो छुट्टी देने के मामले में या इस तरह के अनुदान के बाद, अपील के अंतिम निपटारे में निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कोई कर्तव्य नहीं है? हमें शायद ही कोई संदेह है कि यहाँ एक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय में निहित शक्ति में। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। संस्थापक पिताओं ने निर्विवाद रूप से अनुच्छेद 136 की शर्तों में इरादा किया था कि इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।

हमारे न्यायशास्त्र में उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के निष्ठापूर्ण पालन के साथ भूमि। न्यायिक विवेकाधिकार एक संकीर्ण अधिकार है, न कि मनमाना विलक्षणता।

कार्डोजो ने सुरुचिपूर्ण सटीकता के साथ देखा हैः [बेंजामिन कार्डोजो-न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, येल विश्वविद्यालय प्रेस (1921)

" न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे आनंद में नवाचार नहीं करना है। वह एक शूरवीर नहीं है-गलती करने वाला सुंदरता के अपने आदर्श या [2022] 11 एस. सी. आर. की खोज में अपनी इच्छानुसार घूमना।

अच्छाई। उसे पवित्र सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी है। यह असमंजस की भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकने के लिए नहीं है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और सामाजिक जीवन में व्यवस्था की आदिम आवश्यकता के अधीन विवेक का प्रयोग करना है। सभी विवेक में पर्याप्त व्यापक है

विवेक का क्षेत्र जो बचा है।

8. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 136 समग्र संरचना का है, शक्ति-सह-प्रक्रिया शक्ति है जिसमें यह सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारिता निहित करता है, और प्रक्रिया जिसमें यह सुनवाई का एक तरीका बताती है। यह न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग और सुनवाई के तरीके को अदालत की प्रक्रिया की विशेषता के लिए बाध्य करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 136 के संदर्भ में शक्ति और प्रक्रिया का एक अंतर्निहित प्रिस्क्रिप्शन है जो अनुच्छेद 21 की मांग को पूरा करता है।

9. हम इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। यदि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 136 में दूरबीन किया गया है, तो निष्कर्ष यह है कि निष्पक्ष प्रक्रिया विशेष अनुमति पर अंकित है जिसे अदालत दे सकती है या अस्वीकार कर सकती है। जब किसी बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किया जाता है, तो यह न्यायालय उस कार्यवाही में शामिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरे की गंभीरता की सराहना करता है। यह मान लेना उचित है कि अनुच्छेद 136 के तहत याचिका पर विचार करते समय अदालत स्वतंत्रता के सवाल, अदालत से ऐसी अनुमति मांगने वाले व्यक्ति, उसके उद्देश्य और उसके अधिकार क्षेत्र और उन महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देगी जो अदालत को विशेष अनुमति देने के लिए राजी करते हैं। जब प्रक्रियात्मक परिस्थितियों और मानदंडों का यह परिप्रेक्ष्य अनुच्छेद 136 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र पर खेलता है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि निष्पक्ष प्रक्रिया की इच्छा में निहित है

अनुच्छेद 21 का पर्याप्त उत्तर दिया गया है।

XXX XXX XXX

11. विवेकाधीन शक्ति जितनी व्यापक होगी, उतनी ही अधिक बचेगी।

व्यायाम करें। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि पक्ष इस अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से "उकसाते" हैं, लेकिन अदालत अस्पष्ट रूप से शक्ति का आह्वान करती है। इसके अलावा, अदालत विशेष स्थितियों को छोड़कर, उस व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकती है जो रिकॉर्ड में किसी पक्ष को नामित नहीं करता है।

इस प्रकार, प्रक्रियात्मक मोहम्मद लेटिफ मैग्री v. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सीमाएँ मौजूद हैं और अच्छी तरह से पहने गए नियमों द्वारा शासित हैं

मार्गदर्शन "।

[जोर दिया गया]

50. इस प्रकार, कानून के सिद्धांत जो उपरोक्त से स्पष्ट हैं -

कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं; कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और मामला और प्रश्न निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है।

इसके खिलाफ अपील की गई, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के तहत अपनी प्रबल शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। व्यापक विवेकाधीन शक्ति जिसके साथ इस न्यायालय का प्रयोग अनुच्छेद 136 के तहत किया जाना है

संयम से और केवल अपवादात्मक मामलों में। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत दी जानी चाहिए या नहीं?

अंतिम संस्कार के बाद शरीर की स्थिति

51. यहां तक कि रिट अदालत ने भी इस बात के अधीन हस्तक्षेप की अनुमति दी थी कि

शर्त यह है कि शरीर को प्रसव योग्य स्थिति में पाया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अगर शव अत्यधिक सड़ गया है तो यह हो सकता है

सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरा पैदा करना। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को केवल अंतिम संस्कार करने की अनुमति होगी।

खुद कब्रिस्तान।

52. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थियों

स्वयं दो व्यक्तियों के शवों को अलग कर दिया था, जो थे

अपीलार्थी के बेटे के साथ मारे गए। उनमें से एक को एक विदेशी आतंकवादी ने गोली मार दी थी, जबकि दूसरे को गोलीबारी के दौरान मार दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा के निर्देश पर दफनाए जाने के दो दिनों के भीतर उन्हें अलग कर दिया गया था और अपने तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था। यह आसानी से माना जा सकता है कि शरीर दो दिनों में बहुत अधिक विघटित नहीं हुए होंगे जिससे वे प्रसव योग्य स्थिति में रह जाएंगे।

53. अपीलार्थी ने स्वयं एक विशेषज्ञ, डॉ.

अरपद ए. वास, ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक वरिष्ठ कर्मचारी वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय में सहायक सहयोगी प्रोफेसर

टेनेसी में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में, जिन्होंने कहा है कि मानव शरीर का अपघटन एक व्यक्ति की मृत्यु के लगभग 4 मिनट बाद शुरू होता है। विशेषज्ञ ने कहा है कि एक महीने के बाद शरीर तरल होने लगता है।

अपघटन। जैसे-जैसे प्रत्येक दिन बीतता जाता है, अधिक सड़ांध से गुजरना पड़ता है [2022] 11 एस. सी. आर.

शरीर से। यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.05.2022 के आदेश द्वारा उल्लेख किया था कि मृतक का शव सड़ने की उन्नत अवस्था में होना चाहिए। दफनाने के बाद लगभग 9 महीने बीत चुके हैं जो संकेत देता है कि शरीर प्रसव योग्य स्थिति में नहीं हो सकता है। इस स्तर पर शरीर को अलग करना बहुत अधिक होगा। मृतकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और कब्र के साथ कुछ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए।

54. यह कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के लिए ही उपलब्ध नहीं है।

जीवित व्यक्ति के लिए भी लेकिन "मृत" के लिए भी। यहाँ तक कि एक मृत व्यक्ति को भी अपने शरीर के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है जो उसे होगा।

अगर वह जीवित होता तो अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अधीन होता, जिसे वह स्वीकार करता था। ये अधिकार न केवल मृतक के लिए हैं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। हमारा विचार है कि शव को सौंपना उचित और उचित होगा।

परिवार के सदस्यों के लिए मृतक, विशेष रूप से, जब इसके लिए एक उत्साही अनुरोध किया गया था। यह निश्चित रूप से सच है कि सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित किसी भी मजबूर करने वाले कारणों या परिस्थितियों या मुद्दों के लिए अधिक

विशेष रूप से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के मामलों में संबंधित एजेंसी शव को अलग करने से इनकार कर सकती है। ये सभी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बहुत ही संवेदनशील मामले हैं और जहां तक संभव हो अदालत को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय नहीं किया गया हो। हालाँकि, किसी न किसी कारण से, मृतक के शव को परिवार के सदस्यों को नहीं सौंपा गया था, फिर भी उसे सम्मान और गरिमा के साथ दफनाया गया, वाडर पाईन कब्रिस्तान में औकाफ़ समिति की मदद से। हम एक बात को लेकर आश्वस्त हैं कि शव को गरिमा के साथ दफनाया गया था। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि शव के साथ किसी भी तरह से अपमानजनक या परिवार के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला व्यवहार किया गया था।

55. हालाँकि, जो बात हमें अपील नहीं कर रही है, वह है अपीलार्थी की ओर से मुखर निवेदन कि गलत को सुधारने की दृष्टि से, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस न्यायालय को प्रत्यर्थियों को शव को निकालने का निर्देश देना चाहिए और अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को उसके बाद अनुष्ठान करने की अनुमति देनी चाहिए। यह बहुत गलत है जैसा कि आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय ने राशि का मौद्रिक मुआवजा दिया है

रु. 5,00,000 / - . 56. शव को दफनाए जाने के बाद, इसे कानून की हिरासत में माना जाता है; इसलिए, अलगाव अधिकार का मामला नहीं है।

मोहम्मद लेटीफ मैग्री v. जम्मू और कश्मीर और ओआरएस का संघ क्षेत्र। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एक अंतर्निर्मित शरीर को बाधित करना या हटाना अदालत के नियंत्रण और निर्देश के अधीन है। कानून इस सार्वजनिक नीति के आधार पर अलगाव का समर्थन नहीं करता है कि कब्र की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। एक बार दफनाए जाने के बाद, शरीर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक अदालत आम तौर पर किसी निकाय को विच्छेदित करने का आदेश या अनुमति नहीं देगी जब तक कि आवश्यकता का एक मजबूत प्रदर्शन नहीं होता है कि विच्छेद न्याय के हित में है। प्रत्येक मामले का निर्णय व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। 57. प्रत्यर्थियों ने शपथ पर कहा है कि मृतक के शव को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। शरीर को पहले धोया गया और फिर एक ताजे सफेद कपड़े में लपेटा गया। प्रार्थनाएँ भी होती हैं

दफन के समय किया गया। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सभ्य दफन नहीं दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर के लिए भी उपलब्ध है। हम, एक अदालत के रूप में, मृतक के पिता के रूप में अपीलार्थी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं। हालांकि, अदालत को पक्षकारों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों का फैसला नहीं करना चाहिए। कानून की अदालत को कानून के अनुसार मामले का फैसला करना होता है, विशेष रूप से, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए। कानून का शासन।

58. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि भारत में इससे संबंधित कोई कानून नहीं है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (3) को छोड़कर निष्कासन के लिए। जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने आनंदी साइमन (उपरोक्त) के मामले में देखा है, बहुत कम देशों में निष्कासन के संबंध में कानून हैं। ऐसा ही एक कानून आयरलैंड में स्थानीय कानून की धारा 46 के तहत उपलब्ध है। सरकारी (स्वच्छता सेवा) अधिनियम, 1948 को स्थानीय सरकार अधिनियम, 1994 की धारा 4 (2) और दूसरी अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है।

59. भारत संघ एक उपयुक्त अधिनियम बनाने पर विचार कर सकता है

निष्कर्षण पर कानून ताकि ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके जैसे कि हाथ में है। 60. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के पैरा 21 में निहित राहत को न्यायसंगत, उचित और न्यायसंगत कहा जा सकता है। हम उत्तरदाताओं को इसका पालन करने का निर्देश देते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जैसा कि विवादित निर्णय और आदेश के पैरा 21 में निहित है।

61. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके बिना खारिज कर दिया जाता है

ए.

लागत के बारे में आदेश दें।

62. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)